न्यायालय– सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 72/2019

मुन्ना कुॅवरी .....वादी।

बनाम्

श्रीराम यादव वगैरह्.....प्रतिवादीगण।

आदेश

04-02-2025 उभय पक्षों की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दिनांक 22.11.2024 को दाखिल आवेदन को प्रचालित करते हुए वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि वादी एवं प्रतिवादी के सहमति से सुलहनामा दिनांक 05.04.2023 को दाखिल हुआ है और कुछ मुदई वो प्रतिवादीगण का सुलहनामा पर साक्ष्य भी हुआ हैं। परन्तु वादी और प्रतिवादीगण के बीच कई प्रकार का झंझट पैदा होने की वजह से मुकदमा में सुलह की संभावना नहीं रह गई है तथा अनुरोध करते हैं कि मुकदमा में दाखिल सुलहनामा वो सुलहनामा पर हुए साक्ष्य को निरस्त करते हुए मौजूदा मुकदमा को प्रतिवादीगण के साथ वादी को संघर्ष करने का अनुमति दिया जाय।

प्रतिवादीगण के तरफ से दिनांक 07.01.2025 को दाखिल प्रति–उत्तर को प्रचालित करते हुए प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि वादी द्वारा इस वाद को बिलम्बित करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है। वर्ष 2023 में ही वादी के सहमति से दोनों पक्ष सुलहनामा दाखिल किये थे। मुदई की नियत ठीक नहीं रहने के कारण इतने लंबे अंतराल के बाद एक आवेदन सुलहनामा को रद्द कर संघर्ष करने की बात कहीं गई हैं। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि वादी का आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाय।

लगातार

04.02.2025 उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में उभय पक्षों द्वारा दिनांक 05.04.2023 को सुलहनामा दाखिल किया गया था। चूकिं वादी मास्टर ऑफ द सूट होता है तथा वह इस वाद में सुलह नहीं करना चाहता बल्कि संघर्ष करना चाहता है। अतः न्यायाहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 22.11.2024 को स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक–04.03.2025 वास्ते उपस्थिति ।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)